

पत्रांक-
लेख नं.

415(D.S.W-229/09)-3255

दिनांक-27-08-10

तमी प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाचार्य,
संयुक्त एवं तन्त्र मंडल विद्यालय,
मेन्द्र नारायण मंडल क्विक्टिविद्यालय, मधेपुरा ज़ेराघाट ।

विषय:

तनातर स्टाओं में नामांकन हेतु संशयवार तोंटों की संख्या में वृद्धि के संबंध में।

प्रतंग:

मानव संसाधन विकास विभाग के पत्र 15/रमा-129/2010- 2305

दिनांक 21. 8. 2010

महाशय,

विदेशांतर, उपर्युक्त विषय के तन्दरी में सूचित करना है कि तयिव, मानव संसाधन विकास विभाग, पटना के उपर्युक्त पत्र के अलावे में तनातर स्टाओं में नामांकन हेतु संशयवार तोंटों की संख्या निर्धारित की गई है। निर्धारित तोंट एवं तन्त्रमन्धन प्राप्त संशयों एवं विषयों में ही नामांकन किया गया। अंगीकृत विद्यालयों के तिर दिशा निर्देश हेतु तयिव, मानव संसाधन विकास विभाग, पटना के पत्रांक-15/रमा-129/10-2305 पटना, दिनांक 21.07.2010 पत्र के साथ तंलग्न किया जा रहा है, तथा तन्त्र मंडल विद्यालयों के तिर तोंटों संशयों में तोंटों की संख्या निर्धारित की गई है वो निम्न प्रकार है -

संख्या	वर्ग	वर्धित तोंटों की संख्या	पात एवं प्रतिष्ठा
11	स्ला -	516	पात एवं प्रतिष्ठा
22	विधान -	195	" "
33	वा मिय -	32	" "
कुल तोंटों की संख्या -		793	

- अनुलग्नकः 1. 15/रमा-129/10-2305 दिनांक 21.07.10 का फोटोप्रति ।
2. पत्रांक-469 दिनांक 20. 8. 10 का फोटोप्रति।

कम
26/8/10
अध्यक्ष, छात्र कल्याण

पत्रांक- 415(D.S.W-229/09)-3255 दिनांक- 27-08-10

प्रतिलिपि: तनातकोत्तर विभागाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, मंडल विद्यालय निरीक्षक
विधान, स्ला एवं वा मिय, उप कुलतयिव, अकादमी, पंचीयन, परीक्षा, कुलतयिव के तयिव तड नित्री तडायक, प्रति कुलतयिव एवं कुलतयिव के मंडल विद्यालय नित्री तडायक, मेन्द्र नारायण मंडल क्विक्टिविद्यालय, मधेपुरा को सूचनाार्थ प्रेषित ।

कम
26/8/10
अध्यक्ष, छात्र कल्याण

सिपा

22
33

कुल तोंटों की संख्या - 793

अनुलग्नकः 1. 15/रमा-129/10-2305 दिनांक 21.07.10 का फोटोप्रति ।
2. पत्रांक-469 दिनांक 20. 8. 10 का फोटोप्रति।

151

पत्रांक- 489/अ.प्र.ग.
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना।

प्रेषक: को० को० पाठक
साधिव
रावा म
कुलपति
राज्य के सभी विश्वविद्यालय
प्रति कुलपति
राज्य के सभी विश्वविद्यालय
डीन, छात्र कल्याण
राज्य के सभी विश्वविद्यालय
कुलसचिव
राज्य के सभी विश्वविद्यालय

Handwritten signature and date: 25/8

विषय: राज्य के अगभूत तथा संबद्ध महाविद्यालयों में अधिनियम 50 पठना का निर्धारण।
पटना, दिनांक 25/8/2013

महोदय
विभाग द्वारा पूर्व में पटना विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 50 तथा बिहार विधानसभा अधिनियम की धारा 61 के तहत सभी विश्वविद्यालयों के अधिनस्त संबद्ध तथा अगभूत कॉलेजों में छात्रों की सीटों की अधिकतम संख्या तय कर दी गई है। इस काम में आपके विश्वविद्यालय से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार ही उक्त सीट संख्या को तय किया गया है।
किन्तु ऐसी शिकायत मिली है कि कतिपय कॉलेजों में तय की गयी अधिकतम सीट संख्या आगे बढ़कर कुछ कॉलेजों ने छात्रों का नामांकन कर लिया है जो कि गलत है। इस संबंध में आपको निर्देश दिया जाता है कि आप तुरंत संबंधित कॉलेज के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित करें कि वे अपने तयशुदा अधिकतम सीट से ऊपर किसी भी हालत में न जायें। यदि ऐसा नहीं है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाय।
इस विषय को गंभीरता से लेना होगा और आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि ऐसा तयशुदा महाविद्यालय जिन्होंने अधिकतम सीट संख्या से ज्यादा छात्रों का भर्ती कर ली है वे अधिनियम के प्रावधानों को हटाएँ। यह काम तुरंत एक सप्ताह के भीतर हो जाना है, क्योंकि यदि वे छात्र पूरे वर्ष भर पढ़ते रहे और बाद में विश्वविद्यालय ने उनकी परीक्षा लेने से इनकार किया तो न्यायालय के समक्ष विश्वविद्यालय का पक्ष कमजोर हो सकता है। अतः इस समस्या को समय रहते ही दुरुस्त कर देना उचित है।
साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जिन कॉलेजों में छात्रों का नामांकन हुआ है उसमें आरक्षण नियमों का अक्षरशः पालन हुआ है या नहीं। इसमें किसी भी प्रकार के बदलावों के पदधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

VCO-212/10
25.8.13

Handwritten signature: Anil Chandra PL
Date: 25/8/13

निर्धारण
25/8/13

4/3

54	R.D.S College, Salmari	1082
55	R.L College, Madhavnagar	1082
56	Mahru College, Bahadurganj	1082
57	R.M.M.Law College, Saharsa	100

(कै० कै० पाठक)

राचिव

संख्या - 15/संज्ञा-129/10-2305 पटना दिनांक - 21-07-2010

कारण: कुलसचिव, बी०एन०मदल विश्वविद्यालय, मधेपुरा का सूचनाएं एवं आवश्यक कार्याच

पत्र

(कै० कै० पाठक)

राचिव